राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ. 4(1)(312)पोषा/विविध/ICDS/2013/ 49243-275 जयपुर, दिनांकः 30.5.14

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः–पूरक पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने बाबत।

विभाग द्वारा समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत लाभान्वितो को अन्य सेवाओं के साथ–साथ पूरक पोषाहार का वितरण भी किया जा रहा है। योजनान्तर्गत पंजीकृत आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को आर.टी.ई. पूरक पोषाहार एवं आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को नाश्ता एवं गरम पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत नाश्ता, गरम पूरक पोषाहार एवं आर.टी.ई पूरक पोषाहार का वितरण स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराया जा रहा है।

लाभान्वितों की उक्त श्रेणी अत्यन्त सवेदनशील श्रेणी है। लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किये गये है। उक्त निर्देशों की निरन्तरता में लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें

(1) पोषाहार का भण्डारण स्वच्छ, सूखे एवं हवादार गोदाम में किया जावे। दीवारों में यदि सीलन आ रही है तो पोषाहार को उससे दूर रखा जावें

(2) परियोजना गोदाम एवं केन्द्रों पर पहले से उपलब्ध पोषाहार का लाभान्वितों को वितरण पहले एवं बाद में प्राप्त पोषाहार का वितरण उसके पश्चात किया जावे।

(3) यदि प्राप्त पोषाहार सामग्री आपूर्ति आदेश की दिनांक से पूर्व की उत्पादित हो अथवा क्वालिटी के सम्बन्ध में अथवा अन्य किसी प्रकार की शिकायत हो तो उसे स्वीकार नहीं किया जावे।

(4) यद्यपि केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पूरक पोषाहार की आपूर्ति पैकड पाउच एवं एल.डी.पी. बैग्स में की जा रही है किन्तु यदि वर्षा ऋतृ के दौरान पोषाहार का कोई बैग खुला एवं भीगा हुआ प्राप्त होता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जावे।

(5) लाभान्वितों को पोषाहार वितरण (नाश्ता) हेतु खोले गये पाउच में से पोषाहार के उपयोग के पश्चात शेष पोषाहार को इस प्रकार पैक किया जावें कि उसमें कोई छिपकली अथवा अन्य कीडे प्रवेश न कर सकें।

(6) किसी भी स्थिति में अवधिपार पूरक पोषाहार का वितरण लाभान्वितों को नहीं किया जावे।

(7) खाद्यान्न के परिवहन एवं भण्डारण के लिए अच्छी क्वालिटी के कट्टों का उपयोग किया जावे, यह सदैव ध्यान रखा जावे कि खाद अथवा कीटनाशक के कट्टों में खाद्यान्न सामग्री न तो डाली जावे और न ही उसमें भण्डारण अथवा परिवहन किया जावे।

(8) पूरक पोषाहार सामग्री तैयार करने वाली महिला/महिलाओं को साफ सफाई के बारे में भी प्रशिक्षित किया जावे। पूरक पोषाहार बनाने वाली महिलाओं को यह जानकारी दी जावे कि पोषाहार बनाते समय उनके कपडे धुले हुए हो, हाथ धुले हो तथा नाखुन बढे हुए ना हो।

(9) पूरक पोषाहार बनाने वाली/वितरित करने वाली महिला यदि बीमार है तो उसके स्थान पर अन्य महिला की व्यवस्था की जावे।

(10) गरम पूरक पोषाहार (दलिया/खिचडी) को पकाने से पहले साफ करना सुनिश्चित करें।

(11)गरम पूरक पोषाहार में प्रयुक्त की जाने वाली खाद्य सामग्री जैसेः– गेहूं, चावल, दाल, गुड/चीनी एवं तेल आदि शुद्व एवं अच्छी क्वालिटी के हो।

(12)भोजन पकाने में प्रयोग किया जाने वाला पानी भी स्वच्छ पेयजल स्त्रोत से प्राप्त किया जाना चाहिए।

(13)भोजन पकाने के एवं खाने के बर्तन अच्छी तरह से साफ किये जावें तथा साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जावे।

(14)लाभान्वितों हेतु पोषाहार पकाते समय एवं वितरण करते समय बर्तनों को ढक कर रखें, जिससे कोई भी जीव–जन्तु पोषाहार में न गिर पाये।

(15)आंगनबाडी केन्द्र के पास किसी प्रकार की गन्दगी अथवा गन्दा पानी एकत्रित ना हो, जिससे कि भोजन के प्रदुषित होने की सम्भावना उत्पन्न हो सके।

(16)लाभान्वितों को गरम पूरक पोषाहार का वितरण करने से पूर्व आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा स्वयं उसे चखा जावें एवं पोषाहार उचित गुणवत्ता का होने पर ही लाभान्वितों को वितरित किया जावें।

(17) स्वयं सहायता समूह द्वारा जिस स्थान पर गरम पूरक पोषाहार तैयार किया जा रहा है, उसका समय समय पर महिला पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण भी किया जावें।

(18) महिला पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे समय–समय पर आंगनबाडी केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को अच्छी गुणवत्ता का पूरक पोषाहार निर्धारित योजना के अनुरूप उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(19) भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

अतः विभागीय निर्देशों तथा भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार के निर्माण एवं वितरण में पूर्ण सतर्कता बरती जावें। उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें। पूरक पोषाहार के उपयोग से लाभान्वितों को किसी प्रकार की हानि होने पर संबंधित का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(अरूण कुमार गुप्ता)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक–एफ. 4(1)( )पोषा/विविध/ICDS/2013/ जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, समस्त।
5. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(आर.एस.मीना)
अति. निदेशक (पोषाहार)